उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-20/2021/एस-2-325/दस-2020-88क(1)/2018टी0सी0-2

लखनऊ :: दिनॉक: 03 मार्च, 2021

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान जिसका अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जा रहा है
1	2	3
1	श्रीमती अनीता सिंह, वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, मेरठ।	वित्त नियंत्रक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
2	श्री संतोष कुमार शर्मा, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, नगर निगम, मेरठ।	संयुक्त निदेशक, पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ।

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

विद्या कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या-20/2021-एस-2-325(1)/दस-2021,तददिनॉक</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा/आवास एवं शहरी नियोजन/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ।
4- उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
5- नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
6- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
9- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक, कोषागार।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।